भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2964
दिनांक 12.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

दमन और दीव में नल से पानी के कनेक्शन

2964. श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेलः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) संघ राज्यक्षेत्र दमन और दीव में ग्राम पंचायत और नगरपालिका विस्तार में अब तक कितने घरों में नल से पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं और 'नल से जल' योजना के अंतर्गत अब तक ग्राम पंचायत-वार और डीएमसी वार्ड-वार कितने घरों में नल से पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं;
(ख) उक्त योजना के अंतर्गत कितने नए कनेक्शन प्रदान किए जाने की संभावना है और कितनी धनराशि आवंटित और उपयोग की गई है;
(ग) इस धनराशि का स्रोत क्या है और किन-किन शीर्षों के अंतर्गत धनराशि जमा करके जारी की गई है:
(घ) क्या उक्त योजना को बंद कर दिया गया है और यदि हां, तो इसे शुरू और बंद करने की तिथि क्या है; और
(ङ) उक्त योजना के अंतर्गत जारी किए गए कार्यादेशों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) अगस्त 2019 से, भारत सरकार देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील नल जल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य जल अर्थात नियमित और दीर्घकालिक आधार पर निर्धारित गुणवत्ता (बीआईएस: 10500) के साथ 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (एलपीसीडी) के सेवा

स्तर का प्रावधान करने हेतु राज्यों की भागीदारी में जल जीवन मिशन (जेजेएम)-हर घर जल को कार्यान्वित कर रही है।

अगस्त, 2019 में, जल जीवन मिशन की शुरुआत में केवल 3.23 करोड़ (16.8%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए अनुसार, दिनांक 09.12.2024 तक, लगभग 12.11 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल के अंतर्गत नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, दिनांक 09.12.2024 तक, देश के 19.35 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 15.34 करोड़ (79.28%) से अधिक परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है।

दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव (डीएनएच और डीडी) के संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 85,156 ग्रामीण परिवारों में से सभी परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं, इस प्रकार यह 'हर घर जल' संघ राज्य क्षेत्र बन गया है, अर्थात् संघ राज्य क्षेत्र में 100% ग्रामीण परिवारों को नल जल आपूर्ति मिल रही है। शहरी क्षेत्रों में जल जीवन मिशन लागू नहीं किया जाता है। जिला और ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामीण परिवारों में नल जल कनेक्शन का विवरण पब्लिक डोमेन में निम्न लिंक पर उपलब्ध है: https://ejalshakti.gov.in/jjmreport/JJMIndia.aspx

(ख) दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा सूचित किए गए अनुसार, आवेदक द्वारा किए गए अनुरोध के आधार पर आवेदक को नए कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। इस प्रयोजन के लिए अलग से कोई निधि आबंटित नहीं की जाती है।

(ग) से (ङ) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पांच वर्षों अर्थात् वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक के लिए जल जीवन मिशन को मंजूरी दी थी। पेयजल राज्य का विषय है और इसलिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत आने वाली स्कीमों सहित पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव का उत्तरदायित्व राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का है। भारत सरकार, तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की सहायता करती है। दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने जल जीवन मिशन के तहत कोई निधि आहरित नहीं की है। अत: बजट शीर्षों, निधियों के स्रोत और कार्य आदेशों सहित ग्रामीण जलापूर्ति के लिए अलग-अलग परियोजनाओं/स्कीमों के ब्यौरे भारत सरकार के स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

*****